

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक : 8 फरवरी, 2002

विषय : सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ के विभिन्न विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन अथवा भूमि या भवनों के वर्ग की धारा-14/15 का तद्विषयक नियमों/विनियमों/उपविधियों निर्देशों में कतिपय शर्तों पर छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-6311/9-आ-3-99-100 विविध/97, दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 एवं तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण संख्या-6318/9-आ-3-1999, दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 एवं तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 में प्रदत्त छूट बेसिक टेलीफोन सर्विस में सम्बन्धित निर्माण में थी संदर्भित अधिसूचना व शासनादेश दिनांक 10.12.99 में वर्णित शर्तों के अधीन समस्त प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों में प्रदान की जाय।

उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या :- 540(1)/9-आ-3-2002-240काम्प/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

(अधिसूचना संख्या-6316/9-आ-3-99-100 विनिधि/97 दिनांक 10.12.99 की प्रति सहित)

3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

4. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

5. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।

6. महानिदेशक, टेलीफोन, भारत सरकार नई दिल्ली।

7. रिलायंस इन्फोकाम लि0-8-9 भूतल सरन चैम्बर-11, 5 पार्क रोड, लखनऊ। 226001

8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव।